समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व अधिकरण ग्वालियर म.प्र.

निगरानी/जबलपुर/भू.रा/2017/4721

रिवीजन प्रकरण क्रं.   /2017—18

श्रीमति सावित्री बाई, उम्र 62 वर्ष, यादव पति बाबूलाल
यादव निवासी कजरवारा जबलपुर   —— **आवेदिका**
पुनरीक्षणकर्ती

विरूद्व

1— मेसर्स आशियाना बिल्डर्स द्वारा
मनीष जायसवाल बल्द राममनोहर जायसवाल
निवासी भैरासुर रोड जबलपुर

2— मध्यप्रदेश शासन   —— **अनावेदकगण**

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959

आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ती द्वारा न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार केंट जबलपुर के राजस्व प्रकरण क्रं.30/अ—6—अ/2016—17 पक्षकारगण श्रीमति सावित्री बाई यादव विरूद्व आशियाना बिल्डर्स व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18—10—17 से क्षुब्ध व दुखित होकर उक्त पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है ।

प्रकरण के तथ्य

1— यह कि अपीलार्थी के द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार केंट जबलपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र वास्ते मौजा कजरवारा प.ह.नं. 10 राजस्व निरीक्षक मंडल जबलपुर—1 तहसील व जिला जबलपुर के खसरा नंबर 44/4/क एवं 46/4/क रकवा 0.343 हे. के संबंध में नक्शा बटांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । उसके उक्त आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा बटांकन/सीमांकन किये जाने हेतु पटवारी एवं आर.आई. महोदय को आदेशित किया गया था ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निग./जबलपुर/भू.रा./2017/4721 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-01-18	यह निगरानी आवेदिका द्वारा नायब तहसीलदार, कैंट जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 30/अ–6–अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदिका ने नायब तहसीलदार, कैंट जबलपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र वास्ते मौजा कजरवारा, प.ह.नं.10 राजस्व निरीक्षक मण्डल, जबलपुर–1 तहसील व जिल जबलपुर के खसरा नं.44/4/क एवं 46/4/क रकवा 0.343 हैक्टेयर के संबंध में नक्शा बंटाकन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया कि उक्त आवेदन पर बंटाकन / सीमांकन किये जाने हेतु पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया जाये। राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही किये जाने के संबंध में अपने पत्र दिनांक 18.05.2017 के माध्यम से स्पष्ट किया कि खसरा नम्बर 44 एवं 46 के नक्शा बंटाक पटवारी अभिलेख में पटवारी शीट नक्शा में नहीं है, इसलिए चालू नक्शें में नक्शा बटांक होने के पश्चात् ही सीमांकन किया जा सकता है। इस संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल पंचनामा दिनांक 25.07.2017 को बनाया	

गया। जिसमें पक्षकारों के हस्ताक्षर लिये गये है। स्थल पंचनामा के मुताबिक मूल खसरा 44 के 61 बटांक होने के संबंध में वर्णित किया गया था कि केवल खसरा नम्बर 44/3 एवं 44/7 का बटांक अभिलेख में दर्ज है, शेष बटांकों के संबंध में अभिलेख में कोई बटांकन दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में नक्शा बटांक शीट में होने के पश्चात् ही सीमांकन किया जाना संभव है। स्थल पंचनामा से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा क्रय की गयी भूमि पर उसका कभी कब्जा नहीं रहा है और ना ही वह अपनी भूमि के संबंध में पहचान बता पाने में समर्थ है। आवेदिका की उपस्थिति में उनकी सास श्यामाबाई, जो 86 वर्ष की है, उनके द्वारा अपनी भूमि की पहचान बतायी। जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विवादास्पद आदेश पारित किया है। खसरा नम्बरों के अंकित होने में लिपिकीय त्रुटि हुयी है। आवेदिका को भू–अधिकार पुस्तिका जारी की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिपिकीय त्रुटि अनुसार खसरा नम्बर अंकित होने के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष कि आवेदिका द्वारा वर्ष 1984 में भूमि क्रय करने के पश्चात् लगभग 33 वर्ष पश्चात भूमि के बटांकन, सीमांकन के संबंध में आवेदन पत्र को संदिग्ध मानते हुए समस्त अभिलेख उपलब्ध रहते हुए, जो निष्कर्ष निकाले गये है, वह साक्ष्य पर आधारित नहीं है। आवेदिका द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि में से भूमि विक्रय किया जाना उल्लेखित किया गया है, परन्तु उसके द्वारा विक्रय पत्रों के आधार पर

दर्ज भूमि अनुसार उसके पक्ष में बची शेष भूमि को भी उसके द्वारा विक्रय की गयी भूमि को मानते हुए वर्तमान में उसके पास कोई भूमि उपलब्ध न होना माना गया है, जोकि दस्तावेजों के विपरीत है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदिका के के अभिभाषक के तर्क सुने तथा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया।

4– आवेदिका अभिभाषक ने तर्को में बताया कि नायब तहसीलदार, कैंट जबलपुर को खसरा नम्बर 44/4/क एवं 46/4/क रकवा 0.343 हैक्टेयर के संबंध में नक्शा बंटाकन किये जाने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर बंटाकन/सीमाकन किये जाने हेतु पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया गया है, जिसमें मौके पर जाकर सीमांकन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा पत्र दिनांक 18.05.2017 के माध्यम से स्पष्ट किया कि खसरा नम्बर 44 एवं 46 नक्शा बंटाक, पटवारी शीट नक्शा में नहीं है, ऐसी स्थिति में चालू नक्शें में नक्शा बंटाक होने के पश्चात् ही सीमांकन किया जा सकता है। राजस्व निरीक्षक द्वारा बनाये गये पंचनामें में पक्षकारों के हस्ताक्षर है। अनावेदक क्रमांक 1 को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है, किन्तु उसके द्वारा क्रय की गयी भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा और वह अपनी भूमि के संबंध में पहचान बताते में असमर्थ रहा है, जबकि आवेदिका एवं उसकी सास श्यामाबाई यादव जो 86 वर्ष

की है, उनके द्वारा अपनी भूमि की पहचान बतायी गयी है, जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य विवादास्पद आदेश पारित किया है। खसरा नम्बरों के अंकित होने में लिपिकीय त्रुटि हुयी है, जबकि आवेदिका के पक्ष में भू–अधिकार पुस्तिका जारी की गयी है। ऐसी स्थिति में उसे लिपिकीय त्रुटि माने जाने में गंभीर न्यायिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष कि आवेदिका द्वारा वर्ष 1984 में भूमि क्रय किये जाने के पश्चात् लगभग 33 वर्ष बाद बंटाकन सीमांकन के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो संदिग्ध है, जबकि सीमांकन के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि नायब तहसीलदार, कैंट जबलपुर द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया है, जो अपने स्थान पर विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार, कैंट जबलपुर का आदेश स्थिर रखते हुए वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार,

कैंट जबलपुर द्वारा अभिलेख का विधिवत अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिवचनों व प्रस्तुत तर्को का कथित रूप से आंकलन न करते हुए आदेश पारित किया है। उपरोक्त आदेश अनावेदक क्र. 1 आपत्ति के आधार पर पारित किया है, जबकि उसकी ओर से इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। विचारण के समक्ष आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में अभिलेख अनुसार की गयी, समस्त कार्यवाही एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र नक्शा बंटाकन किये जाने के संबंध में पंचनामा में उपलब्ध जानकारी नजरअंदाज करते हुए पुनः राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 28.08.2017 को प्रेषित प्रतिवेदन पर विचार न करते हुए आदेश पारित किया है। सीमांकन व बटांकन किये जाने के संबंध में नायब तहसीलदार, कैंट जबलपुर, सक्षम अधिकृत अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में सूक्ष्यमता से परीक्षण किये जाने के उपरांत ही निष्कर्ष दिये जाने चाहिए थे, जो नहीं दिये गये, बल्कि अनावेदक क्रमांक 1 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यवाही की गयी है, जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः नायब तहसीलदार, कैंट जबलपुर नायब तहसीलदार, कैंट जबलपुर द्वारा पारित आदेश विधिवत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, कैंट जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ–6–अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2017

	त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों पर विधिवत विचार कर, आवेदन पत्र का निराकरण आगामी तीन माह के अंदर करें। सदस्य	